(171)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)</u>

निग-1606-PBR/16

<u>आशा किरण सोसायटी द्वारा :–</u>
अध्यक्ष श्री डॉ. जेसुदोष पिता सुवाकिन
आयु 55 वर्ष निवासी हाल मुकाम धानी
तहसील धरमपुरी जिला धार ....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
मनावर–धरमपुरी जिला धार
2– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टार महो.
धार जिला धार (म. प्र)
3– रोमन कैथोलिक मिशन संप्रदाय धानी
व्यवस्थापक फादर पेट्रिक जोसफ
पिता मुदुस जोसफ निवासी हाल
मुकाम महु जिला इन्दौर.. अनावेदकगण

<u>निगरानी अर्ज अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. विरूद्ध</u>
<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनावर – धरमपुरी</u>
<u>के न्यायालय के प्रकरण क्र. 20 अ 21/2009–2010</u>
<u>में पारित आदेश दिनांक 27/02/2016</u>

माननीय न्यायालय,

सेवा में आवेदक की ओर से निम्नानुसार निगरानी अर्ज सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षीप तथ इस प्रकार है कि ग्राम चिक्टयावड़ तहसील धारमपुरी में आवेदक के स्वत्व की भुमि सर्वे नंबर 210 रकबा 1.138 एवं. सर्वे नंबर 222/1 रकबा 1.075 की स्थित है।

उक्त भुमि पुर्व में रोमन कैथोलिक संप्रदाय धानी की थी। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के द्वारा सर्वे नंबर 210 व 224/1 में से रकबा 0.186 है व्यवसायिक उपयोग हेतु तथा रकबा 0.186 आवासीय प्रयोजन हेतु धारा 172 [illegible] रा.सं. के अंतर्गत [illegible] न्यायालय द्वारा प्र. क्र. 20अ 21/2009–2010 [illegible]
[illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1606-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	